

C.S.- 9 महत्वपूर्ण प्वाइंट S.M के लिए

S.R-9.12/1-

ABS में सिगनल/सिगनलों के खराब होने पर एक या एक से अधिक ब्लॉक सेक्शनों में गाड़ियों का संचालन, नियम 9.02 से 9.07 के अनुसार किया जाएगा।

S.R-9.12/2(A)-

ABS के दो या उससे अधिक ब्लॉक स्टेशनों के बीच के सिगनल/सिगनलों के कुछ समय के लिए खराब हो जाने पर या अत्यधिक बिलंबन की संभावना होने पर यदि संचार साधन उपलब्ध हो :-

- सिगनल विफलता को "Prolonged Failure" की घोषणा Sr. DOM/ DOM(I/C) के द्वारा किया जाएगा।
- ABS के दो या उससे अधिक ब्लॉक सेक्शनों में सिगनल/सिगनलों कुछ समय के लिए खराब होने की लिखित सूचना S&T विभाग के द्वारा SR.DSTE/DSTE के सहमति से कंट्रोलर को दी जाएगी :-> गाड़ियों का संचालन S.R-9.12/1 के अनुसार की जाएगी।
- **Prolonged Failure के दौरान S.M की Duty (यदि संचार के साधन उपलब्ध है) :->**
 - इस विफलता की सूचना कंट्रोलर S.M को P.N के आदान प्रदान के साथ करेंगे, सभी गाड़ियों को स्टेशन पर रोका जाएगा L.P & T.M को परिस्थिति से अवगत काराया जाएगा अगले स्टेशन के S.M को भी सूचित किया जाएगा।
 - दोनो स्टेशनों के बीच के एक ही ब्लॉक सेक्शन माना जाएगा एवं गाड़ियों का संचालन दोनो ओर के S.M के द्वारा कंट्रोल होगा।
 - ऐसा संचालन शुरू करने से पहले दोनो S.M यह सुनिश्चित करेंगे की सभी चलायी गई गाड़ियाँ अगले स्टेशन पर पूर्ण रूप से पहुँच गई है और गाड़ी चलाने वाले स्टेशन का सभी प्रस्थान सिगनल और अगले स्टेशन का सभी आगमन रोक सिगनल मैनुअल करके "ON" में कर दिया गया हो।
 - ABS संचालन निरस्त करने की सूचना निर्धारित फॉर्म पर अगले स्टेशन पर S.M को दी जाएगी जिसमें ब्लॉक सेक्शन का नाम, समय, किस संचार साधन के द्वारा लाईन क्लियर लिया/दिया जाएगा और P.N आदि का उल्लेख होगा।
 - S.M लाईन क्लियर क्रमानुसार संचार के साधन के माध्यम से लेंगे। इस प्रक्रिया में अंतिम गाड़ी का P.N अवश्य मिलाया जाएगा।
 - अगले स्टेशन का S.M लाईन क्लियर देने से पहले निम्न बातों का सुनिश्चित करेंगे-
 - > अंतिम गाड़ी पूर्ण रूप से स्टेशन पर पहुँच गई हो।
 - > सभी आगमन सिगनलों को "ON" में कर दिया गया हो।
 - > आगमन रोक सिगनल के आगे पर्याप्त दूरी तक लाईन साफ हो।
 - > ब्लॉक सेक्शन के सभी गेट को बंद कराकर P.N का आदान-प्रदान कर लिया हो
 - > यदि कोई टर्न आउट/साईडिंग उसके कंट्रोल में है तो उसे सही ढंग से सेट व लॉक करा लिया हो।
 - पहली गाड़ी L.P एवं T.M को T/D 912 अधिकार पत्र दिया जाएगा जिसमें अधिकतम गति अतिसतर्कता पूर्वक 25 KMPH/ 10 KMPH तथा फेसिंग प्वाइंट पर 15 KMPH होगा।
 - T/D 912 L.P को देने से पहले S.M सभी गेटो को बंद करवा लेंगे एवं स्टेशन के सभी प्वाइंटो को सही ढंग से सेट, क्लैप व लॉकड सुनिश्चित कर लेंगे।
 - T/D 912 में "ON" में पास करने वाले सभी प्रस्थान/स्वचल/अर्धस्वचल/मध्य सेक्शन गेट सिगनल/हस्त चालित गेट सिगनलों का नंबर लिखा जाएगा। L.P प्रस्थान/हस्त चालित मध्य सेक्शन गेट सिगनल को तभी पास करेंगे जब वर्दीधारी प्रोसीड हैण्ड सिगनल दिखाया जाएगा, L.P मध्य सेक्शन गेट सिगनल को सावधानी पूर्वक तभी पास करेंगे जब यह सुनिश्चित हो जाए कि संपार फाटक सड़क यातायात के लिए बंद एवं लॉकड हो गया हो।
 - अगले स्टेशन पर पहुँचते समय L.P अर्धस्वचल/हस्त चालित आगमन रोक सिगनलों/कॉलिंग ऑन सिगनल के Aspect के अनुसार कार्य करेंगे। यदि वह खराब है तो S.M उस गाड़ी के आगमन हेतु सिगनल को "OFF" करने की शर्तों को पूरा करने के बाद एक वर्दीधारी रेल सेवक को T/369 (3b) लेकर L.P के पास भेजेंगे।

- पहली गाड़ी का अगले स्टेशन पर सुरक्षित पहुँच जाने के बाद सभी गाड़ियों के L.P को T/D 912 देकर सेक्शन की अधिकतम गति के अनुसार चलायी जाएगी, फेसिंग प्वाइंट पर अधिकतम गति 15 KMPH होगा।
- ऐसे संचालन के समय TSR प्रयोग में लाया जाएगा, सभी गाड़ियों के संचालन का समय उसमें अंकित होगा, P.N के आदान-प्रदान से पिछले स्टेशन के S.M को सेक्शन क्लियर करेंगे और कंट्रोलर को सभी गाड़ियों के संचालन से अवगत कराया जाएगा।
- S&T विभाग के द्वारा सिगनलो के ठीक होने का लिखित संदेश मिलने पर, इस प्रक्रिया में चलायी गई अंतिम गाड़ी का पूर्ण रूप से अगले स्टेशन पर पहुँचने के बाद TSR में P.N का आदान-प्रदान करने के बाद, कंट्रोलर से अनुमति लेकर, निर्धारित फॉर्म को भर कर, सामान्य संचालन शुरू किया जाएगा।
- इस संचालन के दौरान प्रयोग की गई सभी रिकार्डों को सुरक्षित रखा जाएगा, सेक्शनल T.I सामान्य संचालन शुरू होने के सात दिनों के अंदर उसकी जाँच करके Sr. DOM/ DOM(I/C) को रिपोर्ट करेंगे।

SR 9.12/2(B) (यदि संचार के साधन उपलब्ध नहीं हों)

- गाड़ी को प्रभावित सेक्शन में भेजने से पहले स्टेशन पर रोका जाएगा तथा लोको पायलट/मोटर मैन तथा ट्रेन मैनेजर को वस्तु स्थिति की जानकारी दी जाएगी।
- प्राधिकार के रूप में फॉर्म T/B 912 जारी किया जाएगा जिसमें निम्न लिखित बातें होती हैं:-
 - (क) बिना लाईन क्लियर प्रस्थान करने का प्राधिकार
 - (ख) उन प्रस्थान स्वाचालित, अर्ध स्वचालित, हस्त चालित तथा गेट सिगनल/सिगनलों के नंबर जिन्हें "ON" में पार में किया जाना है।
 - (ग) सतर्कता आदेश:- सीधी लाईन पर जब दृश्यता साफ हो तो अधिकतम गति 15 KMPH तथा दृश्यता साफ न हो तो अधिकतम गति 10 KMPH साथ ही फेसिंग प्वाइंट पर अधिकतम गति 15 KMPH.
- पहले गई गाड़ी के प्रस्थान समय से 25 मिनट बाद ही दूसरी गाड़ी को खुलाया जाएगा।
- अगले स्टेशन पहुँच कर गाड़ी को आगमन रोक सिगनल पर खड़ा किया जाएगा। स्टेशन मास्टर द्वारा फॉर्म T/369 (3b) जारी करके गाड़ी को रिसीव कर लिया जाएगा।
- यदि सिगनलों की खराबी जारी रहती है लेकिन किसी संचार साधन की बहाली हो जाती है तो दोनों ओर के स्टेशन मास्टर के द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने-अपने स्टेशन से खुलाई गई तथा प्राप्त की गई अंतिम गाड़ियों का विवरण प्राइवेट नंबर के साथ एक संदेश का आदान-प्रदान किया जाएगा।
- उपरोक्त विधि से गाड़ियों का संचालन तब तक किया जाता रहेगा जब तक कि सिगनलों का ठीक होना या संचार साधन का बहाल होना S&T विभाग के द्वारा लिखित रूप में सुनिश्चित न किया जाए।

SR-9.12/3- स्वचालित ब्लॉक दोहरी लाईन में अस्थाई रूप से इकहरी लाईन कार्य

प्रणाली लागू करने पर की जाने वाली कार्यवाही, यदि संचार के साधन उपलब्ध है:-

स्टेशन मास्टर के लिए:-

1. Sr. DOM/प्रभारी DOM के आदेशानुसार दोहरी लाईन पर इकहरी लाईन कार्य प्रणाली लागू किया जाएगा।
2. स्टेशन मास्टर अस्थाई रूप से दोहरी लाईन पर इकहरी लाईन कार्य प्रणाली लागू करने से पहले यदि समझता है कि लाईन या बगल की लाईन अवरूद्ध होने की आशंका हो तो SSE P.Way द्वारा ट्रैक क्लियरेंस प्रमाण पत्र लेने के बाद ही दोहरी लाईन पर इकहरी लाईन कार्य प्रणाली लागू किया जाएगा।
3. जिन दो स्टेशनों के बीच दोहरी लाईन पर इकहरी लाईन कार्य प्रणाली लागू किया जाना है, दोनों स्टेशन के स्टेशन मास्टर इस आशय का संदेश का आदान-प्रदान निजी संख्या के साथ करेगा तथा खण्ड नियंत्रक को भी सूचित करेगा। निजी संख्या का आदान-प्रदान करेगा तथा गाड़ी के लोको पायलट एवं गाड़ी प्रबंधक को भी सूचित करेगा और सभी संपार फाटक को बंद कराना सुनिश्चित करेगा।

30.8.24

4. सेमी ऑटोमेटिक/मैनुअल प्रस्थान रोक सिगनल ऑन स्थिति में रखें जाएंगे।
5. लाईन क्लियर लेने-देने का कार्य उल्लिखित संचार के साधन के माध्यम से ही किया जाएगा।
6. TSR में लाल स्याही से निजी संख्या सहित दर्ज किया जाएगा।
7. सही लाईन से पहली गाड़ी को स्टेशन से T/E 912 पर 25KMPH के गति से चलाया जाएगा जब पहली गाड़ी पहली सिगनलिंग खण्ड के आगे निकलने पर बाद की गाड़ी फॉर्म संख्या T/E 912 पर चलाया जाएगा लेकिन लोको पायलट को बताया जाएगा आपकी गाड़ी पहली गाड़ी नहीं है इसलिए सिगनल के संकेत का पालन करते हुए खण्डिय गति से पास करें।

अगले स्टेशन पर यदि आगमन सिगनल सही है जो ऑफ करके गाड़ी रिसेव किया जाएगा। यदि प्रथम रोक सिगनल खराब है तो T/369(3b) पर पायलट किया जाएगा।

8. **गलत लाईन**:- पहली गाड़ी को T/E 912 पर 25KMPH के गति से चलाया जाएगा, जो अगले स्टेशन पर सही लाईन के प्रथम रोक सिगनल या गलत लाईन के अंतिम रोक सिगनल जो पहले करें गाड़ी को रोक लेगा तथा T/510 प्राधिकार पर गाड़ी को रिसेव किया जाएगा। दूसरी गाड़ी तब तक नहीं चलाई जाएगी जब तक की पहली गाड़ी अगले स्टेशन पर पहुँच न जाए।
बाद की गाड़ी T/E 912 पर खंडीय गति से चलाई जाएगी।
9. जब गाड़ी की दिशा बदली जाएगी तब भी पहली गाड़ी T/E 912 पर 25KMPH पर चलाया जाएगा।

नोट:- 1. सामान्य कार्य संचालन लागू होने पर गाड़ी के लोको पायलट/गाड़ी प्रबंधक को भी इस आशय की सूचना दी जाएगी।
2. सामान्य कार्य संचालन शुरू करने से पहले दोनो स्टेशन के स्टेशन मास्टर एवं खण्ड नियंत्रक से निजी संख्या सहित संदेश का निर्धारित प्रारूप पर दर्ज करेगा।

S.R-9.12/5- (यदि संचार उपलब्ध नहीं हो।)

- 1) सहायक नियम 9.01 (4) में दिए गए नियम का अनुपालन कर S.M संचार खोलेंगे।
- 2) इंजिनियरिंग विभाग के अधिकारी जो कम से कम SSE/JE (P.Way) से कम नहीं हो ट्रैक फीट प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।
- 3) L.P को S.M के द्वारा सतर्कता आदेश निम्नलिखित बाते लिख कर जारी किया जाएगा:-
a) लाईन जिससे हो कर गाड़ी का परिचालन किया जाएगा।
b) अवरोध स्थल का किलोमीटर।
c) गति प्रतिबंध।
d) ट्रैप प्वाइंट जिसे स्पाईक एवं क्लैम्प कर दिया गया है का आश्वासन।
- 4) सही लाईन से जाने वाली गाड़ी पिछले स्टेशन के सेमी ऑटोमेटिक/मैनुअल प्रस्थान सिगनल को T/A 912 एवं सिगनल के नीचे से हाथ सिगनल दिखाये जाने पर पार करेगी।
- 5) **गलत लाईन** से जाने वाली गाड़ी को बाहरी फेसिंग प्वाइंट तक पायलट कर निकाला जाएगा एवं S.M द्वारा L.P को T/A 912 के अतिरिक्त T/511 भी दिया जाएगा।
- 6) सही लाईन से जाने वाली गाड़ी अगले स्टेशन पर आगमन सिगनल ऑफ कर लिया जा सकता है।
- 7) **गलत लाईन** से जाने वाली गाड़ी अगले स्टेशन पर सही लाईन के प्रथम रोक सिगनल अथवा गलत लाईन के अंतिम रोक सिगनल जो भी पहले मिले, वहाँ रुकेगा।
स्टेशन मास्टर लिखित प्राधिकार T/510 लोको पायलट को जारी करेगा एवं सक्षम रेल कर्मियों के द्वारा गाड़ी को पायलट तक स्टेशन में प्रवेश करायेगा।

नोट:- विरोधाभाष की स्थिति में एकीकृत सहायक नियम 9.12 मान्य होगा।

30.8.24